National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 155-157

दक्षिण एशिया में सुरक्षा : सार्क की भूमिका

डॉ0 आशीष धर त्रिपाठी

विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन राजनीतिक रूप से बढ़ने में गतिशील रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में जिस प्रकार का अविश्वास और संदेह रहा है उसके मद्देनजर राष्ट्रों के इतर विभिन्न पात्रों से मिल रही खतरनाक चुनौती से निपटने के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र बनाना हमेशा समस्या ग्रस्त रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि उस दिशा में कोई ठोस प्रयास हो ही नहीं पाया ऐसी स्थिति में यह कतई आश्चर्यजनक नहीं है कि अपने निर्माण के आरम्भिक वर्षों में संगठन के रूप में सार्क ने ऐसे निर्विवाद मुद्दों को महत्व दिया जिनसे आपस में अनावश्यक संदेह न बढ़ पाए।

सार्क के गठन के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने पहल की थी। यह पहल उन्होंने 1980 के दशक में अफगानिस्तान संकट को देखते हुए की थी। मई 1980 में दक्षिण एशियाई देशों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया था। बांग्लादेश ने दिसम्बर 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्रस्ताव सर्कुलेट किया। क्षेत्रीय सहयोग के औचित्य की व्याख्या करते हुए इस पेपर में तर्क दिया गया है कि दक्षिण एशिया के देश तमाम समान मूल्य साझा करते हैं, जो कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक परंपराओं से गहरे तक जुड़ा हुआ है। दुनिया में कुछ विशिष्ट घटनाओं या राजनीतिक स्थितियों को लेकर नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन ये मतभिन्नता उनके बीच कोई ऐसा खाई नही पैदा करते, जिसे पाटा न जा सके। सच तो यह है कि क्षेत्रीय आधार पर सहयोग की शुरूआत सद्भावपूर्ण माहौल तैयार करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है जिससे क्षेत्र के देश अपने साझा संस्कृति के समान मूल्यों के बारे में बेहतर अवधारणा बना सकते हैं। इस क्षेत्रीय व्यवस्था को लेकर दुनिया में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई।

चूँकि इस प्रस्ताव के अनुमोदन में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव ने तनिक भी देर नहीं लगाई, लेकिन विभिन्न कारणों से शुरूआत में भारत और पाकिस्तान ने इसके प्रति कोई ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। भारत सरकार ने प्रस्ताव को सिद्धांत के तौर पर स्वीकार किया। हालांकि शुरूआत में भारत ने इस मामले में ऐहतियात बरतने का प्रयास किया, क्योंकि वह इस बात से आशंकित था कि प्रस्तावित क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से छोटे देश सामूहिक रूप से भारत से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा रखने लगेंगे। यही कारण था कि 1980 के दशक में बहुपक्षवाद की बजाय द्विपक्षवाद पर जोर था।

सार्क संगठन के शुरूआती पांच साल में विदेश सचिव स्तर पर विचारों का आदान प्रदान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक योजनाओं से जुड़ा हुआ और काफी सफल रहा। बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 1983 में नई दिल्ली में हुई। विदेश मंत्रियों की बैठक का नतीजा यह रहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुआ।

बीते वर्षों में सार्क की स्थिति सार्क चार्टर 1985 में इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसके मुताबिक संगठन का उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, क्षेत्र में सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी को अपनी पूर्ण क्षमताओं और उचित प्रतिष्ठा के साथ जीने का अव सर मिले। सार्क ने सहयोग के लिए व्यावहारिक नजरिया अपनाया। इसमें सहयोग के उन क्षेत्रों को चुना गया, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो। हालांकि आर्थिक विकास और सामूहिक आत्मनिर्भरता का उल्लेख चार्टर के लक्ष्य और उद्देश्य में ही किया गया है। लेकिन व्यवहार में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को सबसे बाद में अमल में लाया गया।

सार्क का छठवां शिखर सम्मेलन दिसंबर 1991 में कोलंबों में हुआ था। इसमें अंतरसरकारी समूह (आईजीजी) स्थापित करने की सहमति दी गई, ताकि दक्षिण एशिया में व्यापार उदारीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने क`लिए सांस्थानिक फ्रेमवक पर समझौता हो सके। आईजीजी में समझौते का मसौदा शामिल किया गया। सार्क प्रिफेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेन्ट के ढांचागत समझौते पर ढाका में 1993 में सातवां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था। सदस्य देशों में व्यापार को विस्तार देने में यह पहला बड़ा कदम था। समझौते पर सभी देशों की सहमति और मंजूरी के बाद 1995 में यह समझौता अमल में लाया गया। सार्क गठन के पहले दशक के अन्त में इसका महत्व भी उभर कर सामने आया।

इसके बाद सार्क सहयोग की शुरूआत कोर क्षेत्र में भी हुई। साप्टा (एसएपीटीए) के गठन में कई तथ्यों का अहम योगदान रहा। शीत युद्ध की समाप्ति और नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोकतंत्र के आगमन के साथ ही सहयोग में ज्यादा खुलेपन का एक नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ।

सार्क के क्षेत्रीय एजेंडे को तय करने में वैश्वीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों की बहुत विस्तृत भूमिका रही है। साल 1988 में सार्क ने आतंकवाद पर घोषणा का अनुमोदन किया। इसका मकसद आतंकवाद के मुद्दे से निपटना था। ढाका में हुए पहले शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई और क्षेत्र के देशों ने आतंकवाद पर घोषणा तैयार की। इसके बावजूद आतंकवादिों की परिभाषा तय करने में मतभेद के कारण यह पहल निर्मल रही। इससे बुनियादी प्रश्न पैदा हुआ। पड़ोसी देशों द्वारा समर्थित विभिन्न अलगाववादी आन्दोलनों के कारण भी इस मुद्दे से गहराई से निपटने में समस्या पेश आई। साल 1988 में आतंकवाद संबंधी घोषणा में यह स्पष्ट नीति बनाई गई कि प्रत्यर्पण की प्रार्थना किए जाने पर क्या रूख अपनाया जाएगा।

यहां यह प्रश्न उठता है– सामूहिक खतरे और आतंकवादी हिंसा जिनमें बड़े पैमाने पर नागरिक मारे जाते है के बावजूद सदस्य देश आपस में सहयोग करने से झिझकते क्यों है? इसका अर्थ यह नहीं है कि लघु युद्ध लड़ने के लिए आतंकवाद को समर्थन देना आज भी राजनीतिक औजार बना हुआ है? सदस्य देशों के बीच सार्थक सहयोग के विरूद्ध दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी समस्या आपसी

संदेह है और इसका सबसे अधिक इजहार आरंभिक वर्षों में सार्क के गठन के प्रति भारत और पाकिस्तान के रूख से हुआ था। सार्क के गठन के बाद भी अधिकतर देशों ने संगठन का प्रयोग अपने निजी विदेश नीति संबंधी हितों की पूर्ति के लिए करने का प्रयास किया था। बजाए इसके कि वे साझा लक्ष्यों को हा सिल करने के लिए अपनी ऊर्जा लगाएं ओर प्रयास करें।

साझा खतरों के अभाव तथा एक दूसरे को ही खतरा मानने से मतभेद और गहरा गए। शीतयुद्ध की राजनीतिक से भी अविश्वास बढ़ा। सोवियत संघ के ढहने के बाद दक्षिण एशियाई देशों के लिए आर्थिक सहयोग मूलमंत्र बन गया। सार्क के लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा लंबे समय तक प्रमुख चिंता बनी रही। इसके बावजूद यह चिंता राजनैतिक औजार ही सिद्ध हुई है। क्योंकि आर्थिक सहयोग तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार ऋण लगभग 5 प्रतिशत पर ही कायम है। गैर देशीय पात्रों से बढ़ता खतरा सदस्य देशों के लिए 1990 के दशक के आरम्भ में चिंता का प्रमुख कारण बन गया था। पड़ोसी देशों में विद्रोही समूहों को मिल रहे गुप– चुप समर्थन से सार्क का माहौल गरमा गया था। दक्षिण एशियाई देशों के बीच पहले से मौजूद संदेह आरक्षित सीमाओं, नस्लीय घुसपैठ, सैन्य विषमता आदि के कारण और बढ़ गया था। अनेक बार तो सालाना शिखर बैठक का आयोजन भी मुश्किल हो गया था इससे सहयोग प्रभावित हुआ और सदस्य देश अपने विकास में बाधक बड़े मुद्दों को हल नहीं कर पाए।

आज परमाणु हथियार जैसे मुद्दे ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा को एक नया आयाम देना शुरू किया है। सार्क ने सहयोग के प्रति क्रमिकवादी रूख अपनाया और जानबूझ कर द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को एसोसिएशन के दायरे से बाहर रखा ताकि प्रगति की राह में कोई बांधा नहीं आए। हालांकि इन बैठकों के साथ ही क्षेत्रीय नेताओं ने हमेशा द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए समय निकाल लिया और उसका सकारात्मक परिणाम भी उन्हें मिला। हालांकि सार्क अपने औपचारिक एजेंडे से इतर राजनीतिक प्रकृति को कभी नहीं छोड़ पाया है। सभी सार्क शिखर सम्मेलन में ऐसे मौके पर देशों ने नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठकें होती रही है। मंत्रियों, विदेश सचिवों की भी बैठक राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दों को लेकर होती रही है। इन बैठकों में तमाम महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा चुके है।

आज सुरक्षा का मामला सर्वोपरि है। इससे निपटना किसी एक देश के अकेले के बस का नहीं हैं चाहे वह मादक पदार्थों की तस्करी का मामला हों या फिर आतंकवाद, सभी मैं क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत होती है। दक्षिण एशिया में सदस्य देशों में समझौतों के सही ढंग से लागू न हो पाने के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। जब कि 10वें सार्क शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए नेताओं ने 1987 में आतंकवाद पर अंकुश के लिए हुए समझौते को तत्काल लागू करने पर जोर दिया था।

बावजूद इसके सदस्य देश इसको लेकर कुछ अधिक कर नहीं पाए, इससे पता चलता है कि आतंकवाद से प्रभावित होने के बावजूद सदस्य देश इसके प्रति कितना गंभीर है। दूसरा आतंकवाद को परिभाषा को लेकर भी सदस्य देशों में आम सहमति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को खाद पानी देने के मुद्दे पर आम सहमति हो सकमती है। बावजूद इसके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ना चाहता है।

सार्क को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है, तभी इसको चुनौतियों से निपटा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर किए गए समझौतों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। सार्क एक ऐसा मंच है जो सदस्य देशों को अपने विवाद निपटाने का मंच प्रदान करता है। सार्क चार्टर में क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर काफी कुछ बाते कही गई हैं इसकी प्रस्तावना में ही कहा गया है कि क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सौहार्द और प्रगति को बढ़ावा देने का इच्छुक...। चार्टर में आगे कहा गया है कि सदस्य देशों को संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सिद्धान्तों की रक्षा करनी होगी। साथ ही अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और बल के उपयोग न करने की भी बात कही गई है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थिति काफी कुछ भारत की सिीति पर भी निर्भर करती है, चाहे वह सैन्य मामला हो या आर्थिक या फिर राज्य क्षेत्रीय। भारत और उसके छोटे पड़ोसियों की सुरक्षा अवधारणाएं अलग–अलग है।

छोटे देश बाहरी शक्तियों से गठजोड़ कर भारत को संतुलित करना चाहते हैं। इस तरह बाहरी शक्तियों को क्षेत्र से बाहर रखना मुश्किल होता जा रहा है। जहां तक भारत की बात है तो इसकी सुरक्षा नीति पूरे दक्षिण एशिया को एक सामरिक क्षेत्र मानकर है। दक्षिण एउशिया में प्रत्येक घरेलू समस्या अंतर राज्य समस्या बन जाती है। सभी क्षेत्रीय या द्विपक्षीय सहयोग का प्रयास घरेलू राजनीति में उलझ जाती है।

क्या साझा सुरक्षा सिद्धान्त तय किया जा सकता है? दोतरफा संबंधों की स्थिति को देखते हुए साझा सुरक्षा सिद्धांत तय कर पाना कठिन होगा। इसके बावजूद आतंकवाद के मुद्दे पर देशों के बीच पिछले कुछ अरसे में दृढ़ दिखाई दी है। पाकिस्तान में हाल के कुछ साल में आत्मघाती बम हमलों में बहुत तेजी आई है जिससे कभी कभी तो राजनीतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो चुका है। इसी प्रकार अफगानिस्तान भी आतंक से युद्ध के तहत आतंकवाद से लड़ रहा है। नेपाल को हिंसक वारदातों में लगे विभिन्न समूहों ने चुनौती दी है और सीमापार शरण ले ली हैं बांग्लादेश और श्रीलंका भी ऐसी ही चुनौतियों से रूबरू है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यही गैर सरकारी पात्र सबसे बड़ा खतरा बन गए है। यही चुनौती देशों के बीच दोतरफा मुद्दों के इतर सहयोग को और गहरा करने का जबरदस्त अवसर भी है। यदि इस कवायद में सफल होना है तो साझा सुरक्षा सिद्धांत तैयार करना ही होगा। उपमहाद्वीप में स्थिरता और अस्थिरता दरअसल देश सापेक्ष नहीं रह गई है। इसके सीमापार तक फैल जाने की आशंका बन गई है, जिससे संघर्ष बढ़ सकता है। सुरक्षा के इस पैमाने का आधार साझा सुरक्षा सिद्धांत होना चाहिए।

हम ये नहीं कह सकते हैं कि सार्क अभी जिस रूप में हमारे सामने है उसका कोई उपयोग ही नहीं है। सार्क ने एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में अपनी उपयोगिता साबित की है। इसने विभिन्न नजरिये के देशों को एक साथ खड़ा किया हैं सार्क को केवल विवाद निपटारे के तंत्र के रूप में ही विकसित नहीं किया गया था, बल्कि चार्टर के रूप में हमारे द्विक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को चर्चा के लिए इसका उपयोग होना था अब जबकि भारत को सार्क को पुनः सक्रिय करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसी तरह की प्रतिबद्धता और गंभीरता सार्क के अन्य देशों को भी दिखानी होगी। वैसे उपक्षेत्रीय सहयोग क्षेत्र की एकता का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन देश इसके लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने काठमांडू में सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में नेताओं से कहा भी था कि संबंध तो विकसित होगा, चाहे व सार्क के भीतर हो या बाहर या फिर सार्क के सभी देश साथ हों अथवा इसके कुछ सदस्य। अतः चुनौतियों के बावजूद सार्क के सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, शिक्षा, हेल्थकेयर, और आतंकवाद भारत की दो मुख्य उद्देश्यों विकास और पड़ोस में स्थिरता के केन्द्र बिन्दु है।

References

1. Bharti Chhibber. Regional Security and Regional cooperation: A comparative Study of ASEAN and SAARC, New Delhi, 2004.
2. Chaudhary, Anasua Basu Ray. SAARC at crossroads: Fate of Regional Co-operation in South Asia, New Delhi: Samskriti, 2006, 247.
3. Pkattanaik, Smruti S. SAARC at Twenty- Five: An Incredible Idea Still in Its Infancy, Strategic analysis, 2010; 34(5):671-677.
4. Ahmar Moonis. The challenge of Confidence building in South Asia, Har Anand Publication, New Delhi, 2001.
5. Flore Keith. SAARC Puts India in a Corner, The Statesman, New Delhi, 1987.
6. Sudhakar E. SAARC: Origin, Growth & Future, gyan Publishing House New Delhi, 1994.